**भारत सरकार**

**वित्‍त मंत्रालयराजस्‍व विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1352**

**(जिसका उत्‍तर मंगलवार, 14 मार्च, 2017/ 23 फाल्गुन, 1938 (शक) को दिया जाना है)**

**विमुद्रीकरण के दौरान बैंकों द्वारा सीसीटीवी फुटेज को हटाया जाना**

**1352. श्री हरिवंशः**

**क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या यह सच है कि देश में विमुद्रीकरण के दौरान अधिकतर सहकारी और अन्य बैंकों के सीसीटीवी फुटेज को इन बैंकों द्वारा हटा दिये जाने की सूचना मिली है;

(ख) क्या इस संबंध में आयकर अधिकारियों ने भारतीय रिज़र्व बैंक को पत्र भेजा है;

(ग) इस संबंध में सच का पता लगाने के लिए क्या कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां,तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

**उत्तर**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार)**

(क) दिनांक 9 नवम्बर, 2016 से 31 दिसंबर, 2016 के दौरान सीसीटीवी फुटेज को नुकसान पहुंचने के एक मामले की घटना की आयकर प्राधिकारियों द्वारा रिपोर्टिंग की गई।

(ख) अकेली घटना होने के कारण आयकर विभाग ने इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ नहीं उठाया है।

(ग) एवं (घ) उपर्युक्त उल्लिखित मामले में कार्रवाई संबंधित बैंक द्वारा इसके प्रबंधन के माध्यम से की गई थी।

\*\*\*\*\*\*\*\*